

सार्वजनिक सूचना

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - पारेषण (आरइन्फ्रा-टी) यांनी आ.व. २०१५-१६ आणि आ.व. २०१६-१७ साठी एकत्रित महसुलाची आवश्यकता, आ.व. २०१७-१८ साठी तात्पुरते अचूक समायोजन आणि आ.व. २०१८-१९ आणि आ.व. २०१९-२० यांच्या सुधारित एकत्रित महसुलाची आवश्यकता यांच्याकरिता केलेल्या याचिकेवर सूचना/हरकती मागवणारी सूचना.

(२०१७ चा प्रकरण क्र.२०१)

१. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - पारेषण (आरइन्फ्रा-टी) यांनी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी एकूण महसुलाच्या आवश्यकतेच्या (एआरआर) समायोजनासाठी, आ.व. २०१७-१८ चे तात्पुरते समायोजन आणि आ.व. २०१८-१९ आणि आ.व. २०१९-२०च्या सुधारित एकत्रित महसुलाच्या आवश्यकतेसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (मविनिआ) (बहुवार्षिक दरपत्रक) नियमावलीनुसार २०१५ ला याचिका दाखल केलेली आहे.
२. आ.व. २०१५-१६ साठी अंतिम अचूक समायोजन सादर करणे हे मविनिआ (बहुवार्षिक दरपत्रक) नियमावलीवर २०१५ आधारित आहे. आ.व. २०१६-१७ साठी एकूण महसुलाच्या आवश्यकतेसाठी अंतिम अचूक समायोजनसाठी, आ.व. २०१७-१८ च्या तात्पुरत्या अचूक समायोजनसाठी आणि आ.व. २०१८-१९ आणि आ.व. २०१९-२० साठी सुधारित एकत्रित महसुलाची आवश्यकता यांच्यासाठी फाईलिंग करणे हे मविनिआ (बहुवार्षिक दरपत्रक) नियमावली २०१५ आणि इतर संबंधित नियमावलीवर आधारित आहे.
३. आयोगाने ही याचिका दिनांक १४ जून २०१८ रोजी दाखल करून घेतलेली आहे आणि आरइन्फ्रा-टीला जनतेकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी ह्या सूचनेच्या माध्यमातून विद्युत कायदा, २००३च्या कलम ६४(२) अंतर्गत सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
४. याचिकेची ठळक वैशिष्ट्ये खाली दिली आहेत:

तक्ता १: आ.व. २०१५-१६ साठी अचूक समायोजन (कोटी रु.)

| अ. क्र. | तपशील | आ.व. २०१५-१६ | | |
|---------|--|--|---------------------|---------------------------------------|
| | | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका | नफा/तोटा विभागल्यानंतर निव्वळ पात्रता |
| १ | प्रचालन आणि देखभाल खर्च | ५१.८५ | ५४.५५ | ५२.८९ |
| २ | घसारा | ६१.१८ | ६१.१८ | ६१.१८ |
| ३ | दीर्घकालीन भांडवली कर्जावरील व्याज | ७०.११ | ७३.६४ | ७३.६४ |
| ४ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ५.३३ | ५.३९ | ५.३९ |
| ५ | आकस्मिक आरक्षितांसाठी वर्गणी | ३.५९ | ३.५९ | ३.५९ |
| ६ | आयकरावरील खर्च | २७.९४ | २२.२९ | २२.२९ |
| ७ | एकूण महसुली खर्च | २१९.९९ | २२०.६३ | २१८.९८ |
| ८ | अधिक: इन्फ्रिटीवरील परतावा | ७४.२१ | ७४.२२ | ७४.२२ |
| ९ | अधिक: प्रोत्साहन उपलब्धता | - | ३.९७ | ३.९७ |
| १० | एकूण एकत्रित महसुलाची आवश्यकता (अ) | २९४.२० | २९८.८२ | २९७.९६ |
| ११ | आंतरराज्य पारेषण प्रणालीतून महसूल | २४०.६८ | २४०.६८ | २४०.६८ |
| १२ | दरपत्रकाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न | ४८.८२ | ४८.७४ | ४८.७४ |
| १३ | इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न | ०.०२ | ०.०३ | ०.०३ |
| १४ | एकूण महसूल (ब) | २८९.५२ | २८९.४५ | २८९.४५ |
| १५ | आ.व. २०१३-१४ पर्यंत कॅरिंग कॉस्टसहित संकलित महसुली तफावत | १२.९४ | १२.९४ | १२.९४ |
| १६ | आ.व. २०१४-१५ साठी महसुलातील तफावत/(अधिक्य) | (२१.३२) | (२१.३२) | (२१.३२) |
| १७ | २०१२च्या अपील क्र.१३१मधील एटीई निकालाचा परिणाम | ८.७२ | ८.७२ | ८.७२ |
| १८ | एकूण मागील परिणाम (क) | ०.३५ | ०.३५ | ०.३५ |
| १९ | महसुली तफावत/(अधिक्य) (अ+ब+क) | ५.०४ | ९.७२ | ८.७७ |
| २० | सहामाहीसाठी होल्डिंग कॉस्ट | - | - | ०.३० |
| २१ | होल्डिंग कॉस्टसहित महसुली तफावत/(अधिक्य) | ५.०४ | ९.७२ | ८.७७ |

तक्ता २: आ.व. २०१६-१७ साठी अचूक समायोजन (कोटी रु.)

| अ. क्र. | तपशील | आ.व. २०१६-१७ | | |
|---------|--|--|---------------------|---------------------------------------|
| | | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका | नफा/तोटा विभागल्यानंतर निव्वळ पात्रता |
| १ | प्रचालन आणि देखभाल खर्च | ५३.१९ | ५५.४२ | ५४.०७ |
| २ | घसारा | ६५.४७ | ६३.५२ | ६३.५२ |
| ३ | दीर्घकालीन भांडवली कर्जावरील व्याज | ६२.८७ | ६०.५० | ६०.५० |
| ४ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ६.०३ | ५.७६ | ५.७६ |
| ५ | आकस्मिक आरक्षितांसाठी वर्गणी | ३.७१ | ३.७१ | ३.७१ |
| ६ | आयकरावरील खर्च | २७.९४ | २५.२१ | २५.२१ |
| ७ | एकूण महसुली खर्च | २१९.२१ | २१४.१३ | २१२.७७ |
| ८ | अधिक: इन्फ्रिटीवरील परतावा | ७७.३३ | ७५.८६ | ७५.८६ |
| ९ | अधिक: प्रोत्साहन उपलब्धता | - | २.१५ | २.१५ |
| १० | एकूण एकत्रित महसुलाची आवश्यकता (अ) | २९६.५३ | २९२.१३ | २९०.७८ |
| ११ | आंतरराज्य पारेषणातून महसूल | २९२.७९ | २७१.८२ | २७१.८२ |
| १२ | दरपत्रकाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न | २.९६ | ४.३० | ४.३० |
| १३ | इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न | ०.०५ | ०.०९ | ०.०९ |
| १४ | एकूण महसूल (ब) | २९५.८० | २७६.२१ | २७६.२१ |
| १५ | आ.व. १४-१५ च्या तफावत/(अधिक्य) वरील कॅरिंग कॉस्ट | (५.७७) | (५.७७) | (५.७७) |
| १६ | आ.व. २०१५-१६ पर्यंत संकलित महसुली तफावत/(अधिक्य) | ५.०४ | ५.०४ | ५.०४ |
| १७ | एकूण मागील परिणाम (क) | (०.७३) | (०.७३) | (०.७३) |
| १८ | महसुली तफावत/(अधिक्य) (अ+ब+क) | - | १५.२० | १३.८४ |
| १९ | सहामाहीसाठी होल्डिंग कॉस्ट | - | - | ०.६३ |
| २० | होल्डिंग कॉस्टसहित महसुली तफावत/(अधिक्य) | - | - | १४.४७ |

तक्ता ३: आ.व. २०१७-१८ साठी तात्पुरते अचूक समायोजन (कोटी रु.)

| अ. क्र. | तपशील | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आ.व. २०१७-१८ (तात्पुरते वास्तविक) |
|---------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | १ | प्रचालन आणि देखभाल खर्च |
| २ | घसारा | ७१.२९ | ६४.७८ |
| ३ | दीर्घकालीन भांडवली कर्जावरील व्याज | ६४.१८ | ५४.८९ |
| ४ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ६.४० | ५.९७ |
| ५ | आकस्मिक आरक्षितांसाठी वर्गणी | ३.५९ | ३.७६ |
| ६ | आयकरावरील खर्च | २७.९४ | २५.२१ |
| ७ | एकूण महसुली खर्च | २३०.८९ | २१९.२४ |
| ८ | अधिक: समभाग भांडवलावरील परतावा | ८२.६६ | ७८.३१ |
| ९ | वजा: दरपत्रकाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न | ३.३४ | ४.३७ |
| १० | वजा: इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न | ०.०६ | ०.०९ |
| ११ | एकूण एकत्रित महसुलाची आवश्यकता | ३१०.१५ | २८५.१० |
| १२ | आंतरराज्य पारेषण प्रणालीपासूनचा महसूल | ३१०.१५ | ३१०.१५ |
| १३ | महसुलातील तफावत/(अधिक्य) | - | (२५.०५) |

तक्ता ४: आ.व. २०१५-१६ आणि आ.व. २०१९-२० साठी भांडवलीकरण (कोटी रु.)

| तपशील | आ.व. २०१५-१६ | | आ.व. २०१६-१७ | | आ.व. २०१७-१८ | |
|------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका |
| भांडवलीकरण | ५०.०९ | ५०.३५ | ८५.९७ | २२.१२ | १४३.४२ | ८४.२९ |

| तपशील | आ.व. २०१८-१९ | | आ.व. २०१९-२० | |
|------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका | २०१६च्या प्रकरण क्र. १३ मध्ये मान्यता दिलेले | आरइन्फ्रा-टी याचिका |
| भांडवलीकरण | ११.७६ | २०.६८ | - | ३८३.१७ |

तक्ता ५: आ.व. २०१८-१९ आणि आ.व. २०१९-२० साठी एकत्रित महसुलाच्या आवश्यकतेचा सारांश (कोटी रु.)

| अ.क्र. | तपशील | आ.व. २०१८-१९ | आ.व. २०१९-२० |
|--------|--|--------------|--------------|
| १ | प्रचालन आणि देखभाल खर्च | ६०.१५ | ६५.१२ |
| २ | घसारा | ६९.२७ | ७९.६१ |
| ३ | दीर्घकालीन भांडवली कर्जावरील व्याज | ४९.२० | ५८.६७ |
| ४ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ५.५० | ६.०५ |
| ५ | आकस्मिक आरक्षितांसाठी वर्गणी | ३.९७ | ४.०२ |
| ६ | आयकरावरील खर्च | २५.२१ | २५.२१ |
| ७ | एकूण महसुली खर्च | २१३.३० | २३८.६८ |
| ८ | अधिक: समभागावरील परतावा | ८०.७४ | ९०.१३ |
| ९ | वजा: दरपत्रकाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न | ३.८२ | ४.२१ |
| १० | वजा: इतर व्यवसायांपासूनचे उत्पन्न | ०.०९ | ०.०९ |
| ११ | एकूण एकत्रित महसुलाची आवश्यकता | २९०.१३ | ३२४.५२ |
| १२ | आ.व. २०१७-१८ च्या समामीपर्यंत संकलित महसुली तफावत/(अधिक्य) | (५.८५) | - |
| १३ | संकलित महसुली तफावतीवर सहामाही कॅरिंग कॉस्ट | (०.२९) | - |
| १४ | निव्वळ एकत्रित महसुलाची आवश्यकता (११+१२+१३) | २८४.०० | ३२४.५२ |

५. खालील दस्तऐवजांच्या प्रती लेखी विनंती केल्यास आरइन्फ्रा-टीच्या कार्यालयाकडून प्राप्त करता येतील:
 - अ. प्रस्तावांचा कार्यकारी सारांश (निःशुल्क, मराठीत/इंग्रजीत)
 - ब. सीडीसहित (इंग्रजीत) याचिकेचे तपशीलवार दस्तऐवज (रु. १५०/- चा भरणा रोख रकमेद्वारे/ 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' यांच्या नावे काढलेल्या डीडीद्वारे केल्यानंतर)
 - क. याचिकेचे तपशीलवार दस्तऐवज (इंग्रजीत) (रु. १००/- भरणा केल्यानंतर)
 - ड. याचिकेच्या तपशीलवार दस्तऐवजांची सीडी (इंग्रजीत) (रु. ५०/- भरणा केल्यानंतर)

| कार्यालय | पत्ता | फोन/फॅक्स क्र. |
|--------------------|--|--|
| नोंदणीकृत कार्यालय | एच-ब्लॉक, १ ला माळा, धीरुभाई अंबानी नॉलेज सिटी, नवी मुंबई-४०० ७१०. | फोन: +९१-२२-३०३७३३३३/३३०३१००० फॅक्स: +९१-२२-३०३८६१७८/३३०३३६४६ |
| कार्यालय | देवीदास गल्ली, एसव्हीपी रोडलगत, देवीदास दूरध्वनी केंद्राजवळ बोरीवली (प), मुंबई-४०० १०३. | फोन: +९१-२२-३००९ ९९९९ फॅक्स: +९१-२२-३००९ ८८५२ |
| उत्तर विभाग | ३६९ डी, शंकर गल्ली आणि एस. व्ही. मार्ग यांचे जंक्शन, कांदिवली (प), मुंबई-४०० ०६७. | फोन: +९१-२२-३००९ ६९९९ फॅक्स: +९१-२२-३००९ ४५८० |
| मध्य विभाग | पश्चिम दूरगती महामार्ग, पटेल अॅल्युमिनिअमसमोर, दिंडोशी, गोरेगाव (प), मुंबई-४०० ०९७. | फोन: +९१-२२-३००९ ६९९९ फॅक्स: +९१-२२-३००९ ४८४४ |
| दक्षिण मध्य विभाग | ई-४, एमआयडीसी, अंधेरी (प), मुंबई-४०० ०९३. | फोन: +९१-२२-३००९ ६९९९ फॅक्स: +९१-२२-३००९ ४३४१ |
| दक्षिण विभाग | आरएनए कॉर्पोरेट पार्क, जुने कलामंदिर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, वांद्रे (प), मुंबई-४०० ०५१. | फोन: +९१-२२-३००९ ६९९९ फॅक्स: +९१-२२-३००९ ६२६३ |
| पूर्व विभाग | सहकार सिनेमाजवळ, टिळक नगर, रस्ता क्र. ३, चेंबूर, मुंबई-४०० ०८९. | फोन: +९१-२२-३००९ ६९९९ फॅक्स: +९१-२२-३००९ २०२२ |

६. आयोगाने आरइन्फ्रा-टीला जनतेकडून ह्या सूचनेच्या माध्यमातून सूचना/हरकती मागविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
७. आयोगाकडे ह्या सूचना/हरकती (१+५ प्रती) टपालाद्वारे/कुरिअरद्वारे/प्रत्यक्ष सादर कराव्यात किंवा फॅक्स (क्र. ०२२-२२९६३९७६) किंवा ई-मेलद्वारे (mercindia@merc.gov.in), सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, १३वा मजला, सेंटर क्र.१, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ यांच्याकडे, श्री. विवेक मिश्रा, अतिरिक्त उपाध्यक्ष, नियामक कामकाज, ७वा मजला, देवीदास लेन, एसव्हीपी रोडलगत, देवीदास दूरध्वनी केंद्राजवळ, बोरीवली (प.), मुंबई-४०० १०३, (फॅक्स क्र. ०२२ ३००९८८५२, ई-मेल आयडी: vivek.g.mishra@relianceada.com यांना पाठविल्याच्या पुराव्यासह, गुरुवार दिनांक १२ जुलै २०१८, पर्यंत सादर कराव्यात.
८. ह्या सूचना/हरकती इंग्रजीत किंवा मराठीत सादर केल्या जाऊ शकतात आणि त्यांमध्ये पाठविणाऱ्याचे पूर्ण नाव, पत्रव्यवहारासाठीचा पत्ता आणि असल्यास ई-मेल पत्ता यांचा उल्लेख असावा. ह्या सूचना/हरकती एखादी संस्था किंवा ग्राहकांचा संवर्ग यांच्यावतीने सादर केल्या जात आहेत किंवा काय हे दर्शविणे आवश्यक आहे. पाठविणारा स्वतः वैयक्तिक सुनावणीस उपस्थित राहू इच्छितो/ते किंवा काय ह्याचाही उल्लेख केला गेला पाहिजे; असे असल्यास, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे कार्यालय, १३वा मजला, सेंटर क्र.१, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ येथे दिनांक बुधवार दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी १०:०० वाजता होणाऱ्या जन सुनावणीत आयोगाकडून संधी दिली जाईल, ज्यासाठी वेगळी सूचना दिली जाणार नाही.
९. आरइन्फ्रा-टी विहित वेळेत प्राप्त झालेल्या प्रत्येक सूचनेला/हरकतीला ती प्राप्त झाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत, पण मंगळवार दिनांक १७ जुलै २०१८ पूर्वी उत्तर देईल. आरइन्फ्रा-टीने दिलेल्या उत्तरांवर, जन सुनावणीत किंवा शनिवार दिनांक २८ जुलै २०१८ पर्यंत जोडअर्ज सादर केले जाऊ शकतात.
१०. याचिकेचे तपशीलवार दस्तऐवज आणि सारांश आरइन्फ्राच्या www.relianceenergy.in/web/reliance/regulatory ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. कार्यकारी सारांशही आयोगाच्या www.mercindia.org.in/www.merc.gov.in ह्या संकेतस्थळावर डाऊनलोड करण्याजोग्या फॉर्ममध्ये (निःशुल्क) उपलब्ध आहे.

स्थळ: मुंबई
 दिनांक: २१ जून २०१८

सही
 (किशोर पाटील)
 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नियामक कामकाज
 रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड